

विवरण

11-09-2020

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार

~~जोहन~~

~~उराँव~~ ~~ग्राम - समसैरा~~ को खास नोटिस निर्गत किया

गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार के ~~पिता इमानुएल~~

~~टीप्यो~~ द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम ~~समसैरा~~ खाता सं० 251

वर्ष 1961-62 का लगान रसीद

प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान ~~इमानुएल टीप्यो~~ ने अपना लिखित

रूप में आवेदन दिया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त ~~अन्य~~

~~कोई कागजात नहीं~~ है। राजस्व

उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि

पंजी ii में संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार

~~एवं खेसरा संख्या दर्ज नहीं~~ है। रा०उ०नि० एवं अ०नि० ने

जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि ~~जोहन~~

~~उराँव~~ ~~ग्राम - समसैरा~~ के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी

संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	धाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
समसैरा	67	251	—	2.49 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा० दिनांक 15.07.2020 के आलोक में विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के आधार पर उपरोक्त जमाबन्दी को निरस्त किया जाता है।

लेखापित

11/09/2020

अंचल अधिकारी,
बोलबा।

11/09/2020

अंचल अधिकारी,
बोलबा।